रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 417] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6, 1980/भाद्र 15, 1902
No. 417] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6, 1980/BHADRA 15, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)
आदेश

नई दिल्ली, 6 सितम्बर, 1980

का० आ० 760(अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/80—भारत सरकार के उद्योग मन्त्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 661(अ०), तारीख 7 सितम्बर, 1977 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी होने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त ऐसी सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण-पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) जिनका मैसर्स यूनियन जूट कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता नामक औद्योगिक उपक्रम या ऐसे औद्योगिक अपक्रम का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो ऐसे औद्योगिक उपक्रम या कम्पनी को लागू हों, प्रवर्तन एक वर्ष की अवधि के लिए निलम्बित रहेगा और उक्त तारीख के पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निलम्बित रहेंगे;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का० आ० 544 (अ)/18चख/आई० डी० आर० ए०/78, तारीख 6 सितंबर 1978 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर, 1979 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 517(अ०)/18चख/आई० डी० आर० ए०/79, तारीख 6 सितम्बर, 1979 द्वारा उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर, 1980 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 6 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, एक वर्ष की अवधि के लिए और बढ़ा दी जाए;

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि, 6 सितम्बर, 1981 तक, जिसमें वह तारीख भी सम्मिलित है, बढ़ाती है ।

[फा० सं० 3(4)/77-सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY
(Department of Industrial Development)
ORDERS

New Delhi, the 6th September, 1980

SO. 760(E)./18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 661(E), dated the 7th September, 1977, (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), had declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing

orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) to which the industrial undertaking known as Messrs Union Jute Company Limited, Calcutta or the Company owning such industrial undertaking is a party or which may be applicable to such industrial undertaking or Company shall remain suspended for a period of one year, and that all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date shall remain suspended for the said period ;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 544(E), 18FB/IDRA/78, dated the 6th September, 1978, the duration of the said Order was extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1979;

And, whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 517(E)/18FB/IDRA/79, dated the 6th September, 1979, the duration of the said Order was further extended for another period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1980.

And, whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period of one year upto and inclusive of the 6th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with sub-section (2), of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 6th September, 1981.

[F. No. 3(4)/77-CUS]

का०आ० 761(अ)/18 चख/उ०वि०वि०अ०/80 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 545 (अ)/18 चख/उ०वि० वि०अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स सेन रेले लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण-पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है।

[फा०सं० 2(21)/75-सी०यू०सी०]

S.O. 761(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 545(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs. Sen-Raleigh Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(21)/75-Cus.]

का०आ० 762(अ)/18 चख/उ०वि०वि०अ०/80 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 549 (अ)/18 चख/उ०वि० वि०अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स एलमिनरी इण्डस्ट्रीज (कैंसर) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए ।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है ।

[फा०सं० 2(27)/75-सी०यू०सी०]

S.O. 762(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 549(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Cranks) Private Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(27)/75-Cus.]

का०आ० 763(अ)/18 चक्र/उ०वि०वि०अ०/80:—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 546 (अ)/18-चक्र उ०वि० वि०अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक्र की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स एनसिलरी इण्डस्ट्रीज (क्रंक्स) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18चक्र की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है।

[फा०सं० 2(28)/75-सी०यू०सी०]

S.O. 763(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 546(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the Powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as (Messrs Ancillary Industries (Lugs) Private Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(28)/75-Cus.]

का०आ० 764 (अ)/18 चक्र/उ०वि०वि०अ०/80 :—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 548 (अ)/18 चक्र/उ०वि० वि०अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक्र की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स एनसिलरी इण्डस्ट्रीज (फोजिंग्स) प्राइवेट लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चक्र की उपधारा (2)

के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है।

[फा०सं० 2(29)/75-सी० यू० सी०]

S.O. 764(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 548(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powres conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that —

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs Ancillary Industries (Forgings) Private Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(29)/75-Cus.]

का०आ० 765 (अ)/18 चख/उ०वि०वि०अ०/80.—केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार के भूतपूर्व उद्योग और नागरिक पूर्ति मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 547 (अ)/18 चख /उ०वि० वि०अ०/75, तारीख 27 सितम्बर, 1975 (जिसे इसमें आगे उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा उद्योग (विकास और विनियमन) 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, घोषणा की थी कि :—

(क) उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियां, मैसर्स सेन एण्ड पंडित इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, कलकत्ता के नाम से ज्ञात औद्योगिक उपक्रम को लागू नहीं होंगी; और

(ख) उक्त आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तांतरण पत्रों, करारों व्यवस्थापनों, पंचाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (जिसमें उक्त उपक्रम एक पक्षकार है, या जो उसे लागू हो सकता है) और उक्त तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधिकारों, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्वों का प्रवर्तन 26 सितम्बर, 1976 तक निलम्बित रहेगा;

और उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1980 तक के लिए और बढ़ा दी गई थी;

और केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक की अवधि के लिए और बढ़ा दी जानी चाहिए;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 चख की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त आदेश की अवधि 7 सितम्बर, 1981 तक के लिए, जिसके अन्तर्गत यह तारीख भी है, और बढ़ाती है।

[फा०सं० 2(30)/75-सी यू० सी०]
बी० राय, संयुक्त सचिव

S.O. 765(E)/18FB/IDRA/80.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industry and Civil Supplies (Department of Industrial Development) No. S.O. 547(E)/18FB/IDRA/75, dated the 27th September, 1975 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951) declared that—

(a) the enactments specified in the Third Schedule to the said Act shall not apply to the industrial undertakings known as Messrs, Sen and Pandit Industries Limited, Calcutta; and

(b) the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force (to which the said industrial undertaking is a party or which may be applicable to it) immediately before the date of publication of the said Order in the Official Gazette, and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the said date, shall remain suspended upto the 26th September, 1976;

And whereas the duration of the said Order was further extended upto the 7th September, 1980;

And whereas the Central Government is satisfied that the duration of the said Order should be extended for a further period upto the 7th September, 1981;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order upto and inclusive of the 7th September, 1981;

[F. No. 2(30)/75-Cus.]
B. ROY, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980